परीक्षार्थियों के निर्देशार्थ नियमावली

# कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

इस निर्देश में अंकित महत्वपूर्ण नियम नित्य परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व सुनाये जायें तथा सूचना पट्ट एवं अन्य प्रमुख स्थान जहां आप उपयुक्त समझें इसे टंगवाने की व्यवस्था कर दें जिससे परीक्षार्थी इससे पूर्णतया अवगत रहें।

1. अमुक विषय एवं प्रश्न–पत्र की परीक्षा किस तिथि एवं सत्र में होगी का विस्तृत उल्लेख परीक्षा कार्यक्रम में होगा जिसे अलग से भेजा गया है।
2. जिन विषयों में मौखिक परीक्षा सम्पन्न होनी है उसकी घोषणा महाविद्यालय/केन्द्र द्वारा अलग से घोषित होगी।
3. परीक्षा भवन के द्वार प्रत्येक दिन परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व खोले जायेंगे परन्तु परीक्षा प्रारम्भ होने की प्रथम तिथि पर द्वार 30 मिनट पूर्व खुलेंगे।
4. परीक्षा समाप्त होने पर अभ्यर्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका परिप्रेक्षक को देकर परीक्षा भवन छोड़ेंगे।
5. प्रश्न–पत्र वितरित होने के पश्चात् एक घण्टे से पूर्व उत्तर पुस्तिका देकर अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं है।
6. परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पूर्व अभ्यर्थी भली-भांति जांच कर लें कि प्रवेश पत्र के अतिरिक्त उसके पास अन्य कागज पत्र नहीं है। यदि परीक्षा भवन में उसके पास कोई कागज पत्र पाया गया तो उसे अनुचित साधन प्रयोग के आरोप में आरोपित किया जायेगा।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उनके अनुक्रमांक के साथ परीक्षा भवन में एक सीट पहले से ही निश्चित होगी जिसे ढूंढकर वहीं बैठना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा। उसके निर्धारत स्थान पर ही परिप्रेक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका तथा प्रश्न–पत्र दिया जायेगा।
8. अभ्यर्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के साथ ही अपने निर्धारित डेस्क के अन्दर बाहर तथा आस-पास भली-भांति देख ले कि कोई कागज पत्र न पड़ा हो, यदि हो तो उसे बाहर रख दें अन्यथा परीक्षाकाल में अवैध सामग्री आस-पास भी प्राप्त होने पर अनुचित साधन प्रयोग के आरोप में आरापित होंगे।
9. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि परीक्षा भवन में बातचीत करना अथवा कागज पत्र का अभ्यर्थियों का आपस में आदान–प्रदान करना दण्डनीय है। परीक्षा अधीक्षक को अधिकार है कि ऐसे कृत्य देखने पर अभ्यर्थी को उस दिन की परीक्षा से बहिष्कृत कर दें अथवा विश्वविद्यालय को अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत पूर्ण विवरण के साथ रिपोर्ट भेजें।
10. केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, परिप्रेक्षक, परीक्षा केन्द्र निरीक्षक तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त उड़नदस्ता के सदस्य को अधिकार है कि परीक्षा भवन में जब चाहें जिस अभ्यर्थी की तलाशी लें।
11. उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ अभ्यर्थी उत्तर लिखें। उत्तर पुस्तिका के किसी पृष्ठ को फाड़ें नहीं, यदि किसी उत्तर अथवा उत्तर के भाग को अभ्यर्थी काटना चाहें तो स्पष्टतया (X) काट दें।
12. यदि परीक्षा द्वारा प्रश्न पत्र के माध्यम से निर्देश हो कि अमुक प्रश्न पत्र का भाग दूसरी उत्तर पुस्तिका में अंकित किया जाये तो तद्नुसार भिन्न उत्तर पुस्तिका का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा किया जाना आवश्यक है।
13. उत्तर पुस्तिका तथा प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देश अभ्यर्थी भली-भांति पढ़ लें एवं उनका पालन करें। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ की सभी प्रतिष्टियां स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में अभ्यर्थी द्वारा पूरित की जायें। प्रश्न–पत्र प्राप्त करने से पूर्व मुख्य पृष्ठ की प्रविष्टियों के अतिरिक्त अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के अन्दर तथा बाहर कुछ भी न लिखें, अन्यथा अनुचित साधन प्रयोग में दण्डित हो सकते हैं।
14. अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ अथवा अन्दर कहीं अपना नाम कोई चिन्ह पहचान का न बनावें। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, नामांकन संख्या, दिन, विषय तथा प्रश्न पत्र केवल अंकित करें। प्रश्नोत्तर के अन्त में केवल समाप्त लिखें।
15. प्रश्न पत्र प्राप्त करते ही अभ्यर्थी जांच लें कि उसे सही व पूर्ण प्रश्न प्रत्र प्राप्त हुआ है। गलत अथवा अपूर्ण प्रश्न पत्र प्राप्त होने की स्थिति में तुरन्त परिप्रेक्षक को सूचना करें।
16. परीक्षा भवन में सिगरेट पीना मना है।
17. अभ्यर्थी परिप्रेक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा भवन नहीं छोड़ सकते हैं।
18. यदि परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट होगा तो किसी प्रश्न विशेष के लिए ग्राफ पेपर तथा लाग टेबिल आदि की व्यवस्था परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी को अपनी कलम तथा रोशनाई लानी होगी।
19. अभ्यर्थी को नित्य अपना प्रवेश-पत्र अनिवार्य रूप से लाना आवश्यक है। उपस्थिति विवरण पर नित्य अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
20. अभ्यर्थी परीक्षा भवन में केन्द्राध्यक्ष के नियन्त्रण में होंगे और उनके प्रत्येक निर्देश का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है।
21. अभ्यर्थी द्वारा पुस्तक, नोट्स मुद्रित अथवा हस्तलिखित प्रपत्र ले जान अनुचित साधन प्रयोग माना जायेगा और विश्वविद्यालय के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

ह० कुलसचिव<br>
कुमाऊँ विश्वविद्यालय<br>
नैनीताल